कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या

1/13/107, नैय्यर कालोनी, सिविल लाइन्स, अयोध्या-224001 | Email: eeupjn_cdfaizabad@yahoo.co.in

पत्रांक: 2505/M-15/38 **दिनांक: 10.05.2026**

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।

विषय: दैनिक जागरण समाचार पत्र में दिनांक 10.05.2026 को प्रकाशित समाचार **"अयोध्या के रूदौली में जल जीवन मिशन ठेकेदारों की मनमानी, मुख्यमंत्री के आदेशों की अनदेखी"** के सन्दर्भ में तथ्यात्मक स्थिति प्रेषित करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दैनिक जागरण समाचार पत्र दिनांक 10.05.2026 के अंक में नगर पालिका परिषद रूदौली, जनपद अयोध्या के वार्डों में जल जीवन मिशन (JJM) के अन्तर्गत पाइप लाइन बिछाने के कार्य में अनियमितता का आरोप प्रकाशित हुआ है। उक्त समाचार के प्रकाशन के तत्काल पश्चात् इस कार्यालय द्वारा सम्बन्धित अवर अभियन्ता को निर्देशित कर स्थलीय निरीक्षण कराया गया, जिसके उपरान्त निम्नलिखित तथ्यात्मक स्थिति आपके अवलोकनार्थ प्रेषित है।

स्थलीय निरीक्षण में यह तथ्य पाया गया कि **नगर पालिका परिषद रूदौली के वार्डों में बिछायी जा रही पाइप लाइन का कार्य जल जीवन मिशन के अन्तर्गत नहीं कराया जा रहा है, अपितु उक्त कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) विभाग द्वारा अमृत (AMRUT) कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रियान्वित किया जा रहा है।** इस तथ्य की पुष्टि उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) विभाग के सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा भी की गयी है।

विदित हो कि जल जीवन मिशन का कार्यक्षेत्र विशुद्ध रूप से **ग्रामीण क्षेत्रों** में "हर घर नल से जल" उपलब्ध कराने तक सीमित है, जिसका क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा किया जा रहा है, जबकि नगर पालिका, नगर पंचायत एवं नगर निगम क्षेत्रों की पाइप पेयजल आपूर्ति योजनाएँ अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं। अतः समाचार पत्र में रूदौली नगरीय क्षेत्र के पाइप लाइन कार्य को जल जीवन मिशन से सम्बद्ध किया जाना **तथ्यात्मक रूप से असंगत एवं भ्रामक है।**

उल्लेखनीय है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित गुणवत्ता मानकों एवं अनुबन्ध प्रावधानों के अनुरूप कराया जा रहा है तथा प्रगति की सतत् समीक्षा एवं तृतीय पक्ष निरीक्षण (TPI) के माध्यम से अनुश्रवण भी किया जा रहा है। उक्त तथ्यात्मक स्थिति को स्पष्ट करते हुए जनसामान्य के मध्य व्याप्त भ्रम के निराकरण हेतु इस कार्यालय द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (X / Twitter) के माध्यम से सार्वजनिक स्पष्टीकरण भी जारी कर दिया गया है।

उपर्युक्त तथ्यात्मक स्थिति आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक संज्ञान हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय,

for **(अरविन्द यादव)**

अधिशासी अभियन्ता

Scanned with OKEN Scanner

उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या

पृ0सं0: तदैव **दिनांक: 10.05.2026**

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, अयोध्या / मुख्य विकास अधिकारी, अयोध्या – सादर सूचनार्थ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), अयोध्या – आवश्यक स्पष्टीकरण निर्गत करने हेतु।
4. सूचना अधिकारी, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, अयोध्या / कार्यालय प्रति।

अधिशासी अभियन्ता

Scanned with OKEN Scanner